<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो–प्रथम) अम्बेडकरनगर</u>

सरकार बनाम निजामुद्दीन आदि
सत्र परीक्षण संख्या– 89/2022
मुकदमा अपराध संख्या– 91/2021
धारा– 376, 506 भा.द.सं.
थाना– सम्मनपुर
जनपद– अम्बेडकरनगर।

सी0एन0आर0 नम्बर– यू.पी.ए.एन.010023072022

<u>आरोप</u>

मै सुशील कुमार–चतुर्थ, अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो–प्रथम) अम्बेडकरनगर एतदद्वारा आप अभियुक्तगण **निजामुद्दीन** व **अकबर अली** को निम्नलिखित आरोपो से आरोपित करता हूं :–

1. यह कि दिनांक 19–04–2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने से पूर्व, विगत चार वर्षो से शादी का झॉसा देकर भिन्न भिन्न स्थानों पर आप अभियुक्त **निजामुद्दीन** ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग कारित किया। इस प्रकार, आपने ऐसा अपराध किया, जो भा0द0सं0 की धारा–376 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त **अकबर अली** ने मुकदमा वादिनी/पीड़िता को जान से मार डालने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार, आपने ऐसा अपराध किया, जो भा0द0सं0 की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण निजामुद्दीन व अकबर अली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः–03.08.2022

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो–प्रथम)
अम्बेडकरनगर।
J.O. CODE-UP6480

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण चाहा।

दिनांकः–03.08.2022

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, (पॉक्सो–प्रथम)
अम्बेडकरनगर।
J.O. CODE-UP6480